WWW.LIVELAW.IN

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिता के तहत)

1. District (जिला): खीरी
Year (वर्ष): 2021
P.S. (थाना): तिकोनियाँ
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0219
Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 04/10/2021 02:53

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	147
2	भा दं सं 1860	148
3	भा दं सं 1860	149
4	भा दं सं 1860	279
5	भा दं सं 1860	338
6	भा दं सं 1860	304-A
7	भा दं सं 1860	302
8	भा दं सं 1860	120-B

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day (दिन): रविवार
Date From (दिनांक से): 03/10/2021
Date To (दिनांक तक): 03/10/20

Time Period (समय अवधि): पहर 5
Time From (समय से): 15:00 बजे
Time To (समय तक): 15 ब

WWW.LIVELAW.IN

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	आशीष मिश्र उर्फ मोनू		पिता का नाम : अजय मिश्र टेनी	1. ग्राम बनवीरपुर परगना खैरीगढ तिकोनियाँ,खीरी,उत्तर प्रदेश, भारत
2	अन्य 15-20 अज्ञात व्यक्ति			1. अज्ञात ,अज्ञात

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10.Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11.Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.-डी.-प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

(नकल तहरीर वादी) सेवा मे, श्रीमान् थाना प्रभारी महोदय तिकुनियाँ खीरी ,प्रार्थनापत्र वास्ते दर्ज किये जाने एफ0आई0आर0 श्रीमानजी, निवेदन है कि आपको सादर अवगत कराना है आज दिनाङ 03.10.2021 को समस्त क्षेत्र वासी किसान एवं मजदूर केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी व उप-मुख्य मंत्री केशव प्रसाद मौर्य शासन उत्तर-प्रदेश के विरुद्ध काले झण्डे दिखाने हेतु महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज क्रीडा-स्थल तिकुनियाँ खीरी मे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। घटना लगभग 3 बजे की है, उक्त केन्द्रीय गृहराज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र उर्फ मोनू निवासी- ग्राम बनवीरपुर पर0 खैरीगढ़ तह0 निघासन जिला खीरी अपने तीन चार पहिया वाहनों के ऊपर सवार होकर 15- 20 अज्ञात असलहों से लैस व्यक्तियो के साथ बनवीरपुर से सभा-स्थल की तरफ तीव्र गति से आये। आशीष मिश्र उर्फ मोनू अपनी थार महिन्द्रा गाड़ी मे बायी सीट पर बैठ कर फायरिंग करते हुए भीड़ को रौंदते हुए आगे बढे। फायरिंग के कारण किसान गुरविन्दर सिंह पुत्र सुखवेन्दर निवासी- ग्राम. मटरोनिया, नानपारा उम्र लगभग 22 वर्ष की गोली लगने मौके पर मृत्यु हो गयी ! तथा तीव्र गति से भीड़ पर सड़क के दोनो तरफ खडे किसानो को दरिंदगी पूर्वक रौंदते हुए आगे बढ़े, दो गाडियो के नम्बर UP31AS 1000, व UP32KM0036 व एक अज्ञात वाहन (स्कारपियो महिन्द्रा गाड़ी) है। शेष पृष्ठ -2 (2) आशीष मिश्र उर्फ मोनू की तीव्र से आती गाड़िया अनियंत्रित होकर गड्ढो मे पलट गयी जिससे कई राहगीर भी गम्भीर रुप से घायल

WWW.LIVELAW.IN

हुए। आशीष मिश्र मोनू फायरिंग करते हुए गन्ने मे भाग कर छुप गए। अभी प्राप्त सूचना के अनुसार कुल चार किसानो की मृत्यु हुयी जिनके नाम गुरविंदर सिंह उर्फ सुखविंदर सिंह ग्राम- मटरोनिया नानपारा उम्र 22 वर्ष, दलजीत सिंह पुत्र हरी सिंह नि0 ग्राम बनजारा टाण्डा, नानपारा उम्र 35 वर्ष, नक्षत्र सिंह पुत्र सूखा सिंह नि0- ग्राम-नमदापुर्वा धौरहरा तहसील (खीरी) व लवप्रीत सिंह पुत्र सतनाम सिंह नि0- चौखडाफार्म पलियाँ कलाँ खीरी की मृत्यु हुयी। एवं अन्य कयी किसान गंभीर घायल है। उक्त घटनाक्रम आज से पूर्व वायरल वीडिया जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनीकी धमकीपूर्ण खुली सभा मे किसानो को प्रदेश से निकालने की धमकी स्वरुप किसानों ने विरोध दर्ज करवाने हेतु रोष प्रदर्शन किया। गृहराज्यमंत्री के पुत्र ने गुण्डईपूर्वक उक्त कृत्य कारित किया। उक्त वायरल वीडियो को लेकर भारत सरकार द्वारा गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही की गयी। और आज उनके ही पुत्र द्वारा विभीत्स घटना कारित कर दी गयी। उक्त कृत्य उक्त गृहराज्य मंत्री व उसके पुत्र आशीष मिश्र मोनू द्वारा सुनोयिजत तरीके से षडयत्रपूर्वक की गयी है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि घटना को गम्भीरतापूर्वक संज्ञान मे लेते हुए उक्त विपक्षीगणो के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्जकर शीघ्र गिरफ्तार करने की कृपा करे। दिनाङ 03.10.2021 ई0 ,प्रार्थीः- पुत्र हरी सिंह नि0 ग्राम बंजारनटाण्डा नानपारा, सुखदेव सिंह पुत्र सरजीत सिंह नि0- मोहरनिया फार्म बहराइच , सतनाम सिंह s/o सन्तोष सिंह ग्राम-चौखड़ा फार्म। नोट- तहरीर की नकल कं0मुशी चंचल चौधरी को का0 हरिकान्त वर्मा (पीएनओ 192433802) के द्वारा कम्प्यूटर पर अक्षरश: बोल-बोलकर कम्प्यूट्रीकृत करायी गयी।

***13. Action taken:* Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Balendu Gautam **Rank** (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 012270053 **to take up the Investigation** (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or** (

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):